[illegible] प्रतिवेदन।
[illegible] । लेकिन
[illegible] लिए जाने
के [illegible] साक्ष्य गवाहान
[illegible] जा रही है। और
[illegible] वकील वादी
[illegible] सूरत में आगे और
[illegible] दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं
होता है। लिहाजा वादीगण की साक्ष्य
गवाहान पेश करने का अवसर बंद
किया जाता है। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी
साक्ष्य दिनांक 18.7.2023 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

18/7/2023 वकील वादीगण अनुपस्थित / प्रतिवादी
संख्या 1 से 4 के वकील उपस्थित /
प्रतिवादी संख्या 5 से 7 के वकील
अनुपस्थित। वकील प्रतिवादी ने निवेदन
किया कि वाद को खारिज करने का
भार वादी पक्ष पर है, वो प्रतिवादी
साक्ष्य करवाना नहीं चाहते हैं। अतः
प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाती है।
वकील वादीगण को अन्तिम बहस
हेतु [illegible] पेश करें भी उपस्थित

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature No
Digitally signed
Date: 2023.08.0
Reason: SelfAtt

नम्बर अहकाम की तामील में	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नहीं हुए थे। और आज भी उपस्थित नहीं हुए है। जो प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा है। वकील प्रतिवादी की बहस है कि वादीगण की ओर से वाद झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है, क्योंकि विवादित भूमि में कभी वादीगण का हक हकूक नहीं रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 को वादपत्र में बतौर गलत अंकन की गई है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 01 बोना की खोदकाश्त है और खातेदार की हैसियत के आधार पर ही नामान्तकरण भरा गया था और वक्त खातेदार की हैसियत के अधिकार निरन्तर मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण की ओर से वादपत्र के जरिये जो इस्तदुआ चाही गई है, उसे साबित करने का भार वादी पक्ष पर है लेकिन वादी पक्ष की ओर से गवाहान सबूत भी नहीं करवाई गई है [illegible] वादीगण का वाद कालबाधित [illegible] के कारण खारिज किये [illegible] हमने बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली (अनुराग?) सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:41 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	
	का प्रार्थना पत्र चूंकि प्रार्थनापत्र विचाराधीन याचिका की बाबत में मुल्तवी इस्तगासा नहीं गई है कि ग्राम खेजडियाली तहसील पचपदरा की खसरा नम्बर 323 रकबा 118.07 बीघा कृषि में 1/4 हिस्सा वादिनियों की व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी कंवलाराम 01 की एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी कंवलाराम 5 से 7 की खातेदारी घोषित की जावे तथा वादीगण की कृषि में किसी प्रकार की दखलंदाजी प्रतिवादी पक्ष नहीं करे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के विरुद्ध जारी की जावे। वादीगण की ओर से अर्जी इस्तगासा को साबित करने का भार वादी पक्ष पर बनता है लेकिन वादी पक्ष की ओर से अपने दस्तावेजी साक्ष्य पत्रों को प्रमाणित करने के लिए अपनी ओर से साक्ष्य गवाहान नहीं करवाई गयी। जबकि वादी साक्ष्य करवाने के लिए लगभग 01 वर्ष का समय दिया गया, बावजूद पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी साक्ष्य गवाहान नहीं करवाने पर साक्ष्य वादी बंद की गई। लगातार

16

(हस्ताक्षर) विवेक व्यास

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek V
Date: 2023.08.02 21:01:41
Reason: SelfAttested

113/14

हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
बहस करने के लिए अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं हुए। क्योंकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है, कि दावा लाने वालों को ही अपना दावा स्वीकार करवाने के लिए कारण सबूत ठोस तथ्यों सहित पेश करने होंगे। लेकिन वादी पेश [illegible] पेश करने में असफल रहा है। इस प्रकार वादीगण [illegible] कारण गवाहान के [illegible] चलने योग्य [illegible] लिहाजा वादीगण का वाद कारण अभाव [illegible] खारिज किया जाता [illegible] डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली मियाद गुजार बाद दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.02 21:01:41 IST
Reason: SelfAttested